समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
आदेश

वर्तमान में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत चिकित्सकों /कर्मियों के स्थानांतरण आदेश से यह उजागर हुआ है कि सिविल सर्जन-सह- सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा द्वारा जिलाधिकारी -सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति का अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्थानांतरण /पदस्थापन किया गया है। उक्त आदेश से प्रभावित चिकित्सकों /कर्मियों की सूची निम्नवत् है :-

क्र0	स्थानांतरण संबंधी पत्र का ज्ञापांक/ दिनांक	संबंधित चिकित्सक /कर्मी का नाम /पदनाम	सिविल सर्जन द्वारा किये गये स्थानांतरण स्थल
1	399/डी0एच0एस0, 27-06-2015	डॉ0 दीपक कुमार, आयुष चिकित्सक (आर0बी0एस0 के0), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरलीगंज	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदाकिशुनगंज
2		डॉ0 संजय कुमार 'सुधांशु', आयुष चिकित्सक (आर0बी0 एस0के0), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदाकिशुनगंज	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरलीगंज
3	410/डी0एच0एस0, 30-06-2015	डॉ0 प्रियरंजन भास्कर, संविदा चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुमारखण्ड	सदर अस्पताल, मधेपुरा
4	369/डी0एच0एस0, 09-06-2015	श्रीमती पिंकी कुमारी (संविदा) जी0एन0एम0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदाकिशुनगंज	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घैलाढ़
5	404/डी0एच0एस0, 29-06-2015	मो0 सलाम, डाटा ऑपरेटर, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गम्हरिया

उल्लेखनीय है कि जिला स्वास्थ्य समिति के पदेन अध्यक्ष, जिलाधिकारी हैं। किसी भी चिकित्सक /स्वास्थ्य कर्मियों का स्थानांतरण /पदस्थापन के पूर्व जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति से, संचिका के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांछनीय है। पूर्व में भी इसी परम्परा अनुसार स्थानांतरण /पदस्थापन होता रहा है। परन्तु, श्री जे0पी0 मंडल, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह- प्रभारी सिविल सर्जन-सह- सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है।

श्री मंडल का स्थानांतरण स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-837 (2), दिनांक-30-06-2015 द्वारा आरा जिला कर दिया गया है। तदालोक में क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के आदेश ज्ञापांक-171 (2), दिनांक- 02-07-2015 द्वारा डॉ0 जे0पी0 मंडल, प्रभारी सिविल सर्जन, मधेपुरा के अनुरोध पर डॉ0 अशोक कुमार वर्मा, वरीयतम चिकित्सा पदाधिकारी को प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। परन्तु, श्री मंडल द्वारा दिनांक 06-07-2015 तक प्रभार नहीं सौंपा गया है तथा इस अवधि में उनके द्वारा पूर्व की तिथि (Back Dating) में स्थानांतरण संबंधी आदेश निर्गत किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री मंडल द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी स्वार्थवश चिकित्सक /कर्मियों का स्थानांतरण /पदस्थापन किया गया है।

श्री मंडल द्वारा अपना प्रभार नहीं सौंप कर दिनांक 04-07-2015 के अपराह्न से 07-07-2015 तक के लिए सिटी स्कैन कराने हेतु पटना जाने के लिए आकस्मिक अवकाश का आवेदन पत्रांक-891, दिनांक-04-07-2015 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दिया गया है, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

अतएव जिलाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्थानांतरण करने तथा सरकार द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के बावजूद भी पूर्व की तिथि में हस्ताक्षर कर आदेश निर्गत किये जाने के कारण श्री जे0पी0 मंडल, प्रभारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत सभी स्थानांतरण आदेश को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है।

उपरोक्त चिकित्सकों /कर्मियों को आदेश दिया जाता है कि वे पूर्व कार्यरत स्थल पर बने रहेंगे। यदि वे विरमित होकर नये पदस्थापन स्थल पर योगदान कर लिये हों, तो भी पूर्व कार्यरत स्थल पर वापस लौट जायेंगे एवं इस आशय का पत्र संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपेंगे अन्यथा इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए गंभीरता से लिया जायेगा।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदाकिशुनगंज, मुरलीगंज, घैलाढ़, कुमारखण्ड, गम्हरिया, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/–

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

ज्ञापांक 1805 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 07/07/15

प्रतिलिपि : सभी संबंधित चिकित्सकों /कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदाकिशुनगंज, मुरलीगंज, घैलाढ़, कुमारखण्ड, गम्हरिया, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा / सिविल सर्जन–सह– सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डॉ0 जयप्रकाश मंडल, प्रभारी सिविल सर्जन, मधेपुरा /डॉ0 अशोक कुमार वर्मा, वरीयतम चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य –सह– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

07/7/2015

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।